मकबूल खां बनाम मन्नालाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

संख्या 104 / 2025

आज्ञा विस्तृत रूप से

26 उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ............ में।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 7/4/26 को पेश हो।

(रीडर)

उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 11/5/26 को पेश हो।

(रीडर)

26 पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। वादी को उपस्थित होने बाबत आवाज लगाई। बार-बार आवाज लगाने उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारीज कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं दर्ज रजिस्टर से कम हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

# न्यायालय माननीय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा
# जिला जयपुर राज.

राजस्व वाद संख्या :- 104 /2025

मकबूल खान पुत्र श्री मोहरू खान जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23, 1384, तोपचीवाडा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

.....वादी

**बनाम**

1. मन्नालाल गुर्जर पुत्र श्री कानाराम
2. श्रीराम पुत्र हनुमान सहाय
3. मंगलाराम पुत्र महादेव (फौत)

3/1. अनिता पुत्री मंगलाराम

3/2. मालीराम पुत्र मंगलाराम

3/3. केसर देवी पत्नी मंगलाराम

4. मन्ना लाल पुत्र कानाराम
5. मालीराम पुत्र बोदूराम
6. महेन्द्र पुत्र कल्लाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मनोहरपुर तहसील मनोहरपुर जिला जयपुर राज.

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज
8. उपपंजीयक शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

.....**प्रतिवादीगण**

9. जमीना पुत्री स्व. मोहरू खा
10. बबन पुत्री स्व. मोहरू खा
11. बाबूँ खा पुत्र स्व. मोहरू खा
12. रशीद खाँ पुत्र स्व. मोहरू खा
13. मरियम पुत्री स्व. मोहरू खा
14. हनीफा पत्नी यामीन खाँ
15. हनीफ खाँ पुत्र यामीन खाँ

16. हाजरा पुत्री यामीन खॉ
17. हनीशा पुत्री यामीन खॉ
18. अब्दुल हकीद पुत्र यामीन खॉ
19. जमीन पुत्र यामीन खॉ
20. नफीसा पुत्री यामीन खॉ
21. अनीस पुत्र यामीन खॉ
22. रूबीना पुत्री यामीन खॉ

समस्त जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 23, 1384 तोपचिवाडा मनोहरपुर जयपुर।

———तरतीबी प्रतिवादीगण

**दावा अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा**

महोदय जी,

वादी की ओर से निम्न प्रकार वाद पत्र सादर प्रस्तुत हैं :–

1. यह कि राजस्व ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 7536 रकबा 0.3500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7543/8384 रकबा 0.7100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7563 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर वादीगण के पिता मोहरू पुत्र फौजू खॉ के नाम दर्ज व अंकित थी।
2. यह कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि को वाद पत्र के आगे के मदो में वादअधीन भूमि से सम्बोधित किया गया हैं।
3. यह कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण वादअधीन भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है वादी के पिता मोहरू पुत्र फौजू खॉ की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि पर वो बदस्तुर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे एवं जरिये विरासत नामान्तकरण मोहरू के विधिक वारिसान के नाम दर्ज व अंकित किया गया।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 7536 रकबा 0.3500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 7563 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.8700 हैक्टेयर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28/2/2000 को क्रय कर ली थी। परन्तु विक्रय पत्र के आधार पर उनके नाम भूमि दर्ज नही हुई है। जिसके संबंध में बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश दिये जबकि वादअधीन भूमि पर वादी व तरतीबी पक्षकार बदस्तुर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं।

5. यह कि वादअधीन भूमि का जो नुमाईशी विक्रय पत्र हुआ था उसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने वादी के पिता को कोई प्रतिफल राशि अदा नही की थी जिस कारण उक्त भूमि पर बदस्तुर मोहरू पुत्र फौजू खॉ काबिज काश्त रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान भूमि पर काश्त करते आ रहे थे। मोहरू खॉ की मृत्यु दिनांक ..... को हो गई। उसके उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण मोहरू खॉ के विधिक वारिसान के नाम दर्ज अंकित किया गया एवं आज भी बदस्तुर मोहरू खॉ के विधिक वारिसान भूमि पर बदस्तुर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु बिना किसी हक व अधिकार के भूमि के नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र के 25 वर्ष पश्चात तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो विधि सम्मत नही थी, ना ही वादी के पिता द्वारा उक्त भूमि का बैचान कभी किया गया था जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा उनके जीवनकाल में कभी भी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही नही की एवं अब भूमि को हडप करने की गरज से तहसीलदार के समक्ष धारा 135(2) एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही कर भूमि को अपने नाम दर्ज करा ली। ऐसे में वादी को लाजमी हुआ कि उक्त विधि विधान के विरूद्ध फिसकल प्रोसिडिंग के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करायें।

6. यह कि वादअधीन भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसका बैचान कभी भी उनके पिता द्वारा नही किया गया है ना ही उनके पिता के जीवनकाल में कभी भी किसी के द्वारा भूमि क्रय करने के संबंध में कोई चाराजोही एवं अधिकार प्रदर्श किये थे परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात एवं विरासत का नामानतकरण दर्ज होने के पश्चात जो समस्त कार्यवाही की गई है वो केवल मात्र नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर की गई है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही होते हैं। ऐसे में वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी अपने वैधानिक अधिकारों के संबंध में घोषणा का वाद प्रस्तुत करें।

7. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 द्वारा वादअधीन भूमि के संबधं में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को एलानियां धमकी दी कि वो वादअधीन भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर चुके है एवं तहसीलदार से दिनांक 18/1/2018 को धारा 135(2) के तहत नामान्तकरण दर्ज कराने का आदेश प्राप्त कर चुके हैं अब वो उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा वो उन्हें भूमि से बेदखल कर भूमि को विक्रय–हस्तान्तरण करेगें। इस संबंध में दिनॉक 16–07–2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने वादी को एलानियॉ धमकी दी है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है।

8. यह कि चूॅकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 अपनी गैर कानूनी हरकतो पर अडिग है ऐसी स्थिति में वादी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह विवादित भूमि में अपने पिता मोहरू खॉ पुत्र फौजू के नाम दर्ज भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा कर अपने पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों को सुरक्षित कर लें। ऐसी स्थिति में वादी घोषणात्मक डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1

बगायत 6 इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि, वाद पत्र की मद संख्या 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बरान् में अपने पिता मोहरू पुत्र फौजू खाँ के नाम दर्ज भूमि को पुनः वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व अंकित कराने एवं वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हक व हिस्से की भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावें।

9. यह कि विवादित भूमि पर वादी जब से कुछ कृषि कार्य करने के काबिल हुये है तब से निरन्तर काश्त करके अपनी आजीविका चला आ रहा है परन्तु चूँकि प्रतिवादीगण अपनी बैजा हरकतों से बाज नहीं आ रहें है और वादी को निरन्तर एलानियाँ धमकी दे रहें है कि वे वादी को बाहुबल के आधार पर विवादित भूमि से बेदखल करेगें और विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करेगें जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है इसके विपरीत वादी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दें कि, वाद पत्र की मद संख्या 1 में उल्लेखित ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमे खसरा नम्बरान् में भूमि में वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट उत्पन्न करने से निषेद्ध रखें तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखें और विवादित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी भी अजनवी व्यक्ति, संस्था, निकाय, ट्रस्ट इत्यादि को विक्रय–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एंव किसी अन्य को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्ध रहें तथा प्रतिवादीगण संख्या

8 विवादित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित एंव हस्ताक्षरित किसी भी प्रकार के लेख्य पत्र, हस्तान्तरण पत्र को तस्दीक करने से निषेद्ध रहें तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में कोई नया अमल दरामद नही करें। प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति कायम रखें।

10. यह कि चूँकि प्रतिवादीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आ रहें है इसलिये वादी को अपने पैतृक व पुश्तैनी अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय हाजा में यह दावा प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पडा है और चूँकि विवादित भूमि में वादी का पैतृक व पुश्तैनी जन्मसिद्ध अधिकार निहित है इसलिये वादी के अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

11. यह कि बिनायदावा अन्तिम रूप से दिनॉक 16–07–2025 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर वादी को विवादित भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, विवादित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को विक्रय–हस्तान्तरण इत्यादि करके खुर्द–बुर्द करके वादी को उसके निहित पैतृक व पुश्तैनी जन्मसिद्ध अधिकार से वॅचित करने की एलानियॉ धमकी दी जो निरन्तर जारी हैं।

12. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा को लैण्ड होल्डर होने एवं माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिये एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 को वादअधीन भूमि का दौराने वाद किसी भी प्रकार से अवैध विक्रय हस्तान्तरण, न किया जा सकें। इस कारण वाद में पक्षकार बनाया गया हैं।

13. यह कि चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करके वादी को उसके पैतृक व पुश्तैनी जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित करने पर तुले हुए है। ऐसी स्थिति में मामला आपातकालीन प्रकृति का है। विधि अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 के विरूद्ध वाद संस्थित करने से पूर्व धारा 80 सी0 पी0 सी0 का नोटिस दिये जानें का प्रावधान है परन्तु मामला आपातकालीन प्रकृति का होनें से धारा 80 सी0 पी0 सी0 के तहत नोटिस प्रेषित किया जाकर नोटिस की कानूनी म्यांद तक इन्तजार करने से प्रतिवादीगण अपने कुत्सित उद्धेश्य में सफल हो जावेगें जिससे वादी की ओर से वाद प्रस्तुतिकरण का मकसद ही सारहीन हो जावेगा इसलिये उक्त नोटिस की छूट प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80 (2) सी0 पी0 सी0 पृथक से प्रस्तुत है जिसमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर उक्त नोटिस की छूट प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

14. यह कि विवादित भूमि माननीय न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित होनें से माननीय न्यायालय हाजा को यह वाद श्रवण एंव निर्णित करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं।

15. यह कि दावा बाबत् घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु होनें से निश्चित न्याय शुल्क रू0 2/– पर यह दावा पेश है।

16. यह कि दावा नियमानुसार अन्दर म्यांद प्रस्तुत है।

17. अनुतोष वादी निम्नलिखित है :–

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जावें :–

(अ) यह कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि, वाद पत्र की मद संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का

मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 7536 रकबा 0.3500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7543/8384 रकबा 0.7100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7563 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार--काश्तकार घोषित किया जावें, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित किया जायें।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि, वाद पत्र की मद संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि वाके ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 7536 रकबा 0.3500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7543/8384 रकबा 0.7100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7563 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर में वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग, कब्जा–काश्त में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट उत्पन्न करने से निषेद्ध रखें तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखें और विवादित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी भी अजनवी व्यक्ति, संस्था, निकाय, ट्रस्ट इत्यादि को विक्रय–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एंव किसी अन्य को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्ध रहें तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें, तथा

प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति कायम रखें।

(स) यह कि हर्जा–खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(द) यह कि अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाया जावें।

जयपुर
दिनॉक 8/8/25

वादी

जरिये अधिवक्ता

## सत्यापन

मैं उपरोक्त वादी सत्यनिष्ठापूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र की मद संख्या 1 लगायत 16 में उल्लेखित तथ्यात्मक तथ्य एंव अनुतोष मद संख्या 17 की उप मद "अ, ब, स, द" मेरे निजी ज्ञान एंव विश्वास से सही व सत्य है तथा इनमें निहित विधिक तथ्य विधिक राय से सही व सत्य होना स्वीकार करता हूँ इसमें कुछ भी घटाया–बढाया एंव छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

सत्यापनकर्ता

जयपुर
दिनॉक 8/8/25